प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 18/2025)

<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने' पर भादूविप्रा की दिनांक 24.04.2024 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के बैक-रेफरेंस का उत्तर दिया।

नई दिल्ली, 25 मार्च 2025 - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज भादूविप्रा **'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने' दिनांक 24.04.2024 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग से प्राप्त बैक-रेफरेंस का उत्तर जारी** किया है।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत दिनांक 07.12.2021 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच कोर नेटवर्क तत्वों जैसे एमएससी, एचएलआर, आईएन आदि को साझा करने की अनुमति देने के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11 (1) (ए) के तहत सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 10.02.2022 में अपने पूर्व के पत्र दिनांक 07.12.2021 का उल्लेख करते हुए भादूविप्रा को सूचित किया कि *"लाइसेंसधारियों के बीच इष्टतम संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत अधिकृत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं की सभी श्रेणियों के बीच सभी प्रकार के दूरसंचार अवसंरचना और नेटवर्क तत्वों को साझा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है, और* भादूविप्रा से से इस विषय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3. अंतर-बैंड स्पेक्ट्रम साझेदारी एवं स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने की अनुमति के हितधारकों के अनुरोध पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम साझेदारी एवं स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने से संबंधित मुद्दों को अवसंरचना साझेदारी से संबंधित मुद्दों के साथ उठाने का निर्णय लिया।

4. भादूविप्रा द्वारा हितधारकों से विस्तृत परामर्श के बाद दिनांक 24.04.2024 को 'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने' पर दूरसंचार विभाग को अनुशसाएं प्रदान की थीं।

5. इसके बाद, में दूरसंचार विभाग ने 13.02.2025 को एक बैक-रेफरेंस के माध्यम से सूचित किया कि भादूविप्रा अधिनियम (संशोधित)1997 की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 24.04.2024 की 'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने' उन अनुशसाओं पर पुनर्विचार करते हुए अनुशसाएं प्रदान करे, जिसके संबंध में सरकार प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अनुशसाएं स्वीकार नहीं की जा सकती हैं या उनमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।

6. दूरसंचार विभाग के प्रथम दृष्टया विचारों की जांच के बाद भादूविप्रा ने बैक रिफरेंस पर अपने जवाब को अंतिम रुप दिया है। प्राधिकरण द्वारा बैक रिफरेंस पर दिया गया जवाब भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

7. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 25/3/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव भादूविप्रा